न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः विकास सीतारामजी भाले, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 01/2015 अपील (RCMS/2015/00035)
पंजीयन दिनांक — 01.07.2015
निर्णय दिनांक — 24.12.2019

1. श्री सलीम उर्फ राजू पिता युसुफ उर्फ कालू कुरेशी निवासी वाटर वर्क्स रोड़, प्रतापगढ़ (राज.)

—अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये लोक अभियोजक

—रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः—
1. श्री सत्य प्रकाश व्यास, महेश बागड़ी — वकील अपीलान्ट
2. श्री योगेन्द्र दशोरा — राजकीय अभिभाषक

प्रकरण संख्या 12/2015 सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ बनाम सलीम उर्फ राजू कुरेशी, में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.06.2015 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा—6 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम—1975

निर्णय

दिनांक 24.12.2019

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 12/2015 सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ बनाम सलीम उर्फ राजू कुरेशी में पारित निर्णय दिनांक 16.06.2015 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है—

- अधीनस्थ न्यायालय समक्ष जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—3/2, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 विरूद्ध श्री सलीम उर्फ राजू कुरेशी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री सलीम जुआ सट्टा खेलने का आदी है जिससे आम लोगों की आर्थिक स्थिति पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है। उक्त व्यक्ति बदमाश प्रकृति का होकर इसके विरूद्ध कोई गवाही देने की हिम्मत नहीं करता है। सलीम उर्फ राजू के विरूद्ध धारा—13 आरपीजीओ के तहत 2 प्रकरण पंजीबद्ध होकर सक्षम न्यायालय में जुर्म साबित पाये जाने से जुर्मानें से दण्डित किया है। प्रार्थना पत्र की ताईद में जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने कथन के समर्थन में सम्बन्धित दस्तावेजों व

निर्णय की प्रतियां प्रस्तुत कर सलीम उर्फ राजू के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया।

- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गैरसयाल को नोटिस जारी कर उसके प्रस्तुत जवाब को असंतोषजनक पाकर लोक अभियोजक की बहस एवं दस्तावेजों पर मनन कर गैरसयाल सलीम उर्फ राजू को गुण्डा घोषित उसको जिला प्रतापगढ़ की सीमा से 15 दिवस की अवधि के लिए निष्काषित करने का निर्णय दिनांक 16.06.2015 पारित किया। इस सम्बन्ध में अपने निर्णय में आदेशित किया कि–

  1. सलीम उर्फ राजू पिता युसुफ उर्फ कालू कुरेशी निवासी जटिया गली वाटर्स वर्क्स रोड़, प्रतापगढ़ (राज.) को जिला प्रतापगढ़ की सीमा से 15 दिवस की अवधि के लिये निष्कासित किया जाता है।

  2. उक्त अवधि तक के लिये थाना अरथुना जिला बांसवाड़ा (राज.) में रहने के निर्देश दिये जाते है।

  3. अप्रार्थी/गैरसायल को पाबन्द किया जाता है कि निष्कासन की अवधि में थानाधिकारी अरथूना जिला बांसवाड़ा के यहां दैनिक उपस्थिति देगा एवं बगैर उनको सूचित किये क्षेत्र नहीं छोड़ेगा और ना ही जिला प्रतापगढ़ की सीमा में प्रवेश करेगा।

  4. निष्कासन अवधि के दौरान कोई भी तीखा अथवा तेजधार वाला अस्त्र या आयुध, कोई भी मादक मंदिरा, अफीम, गांजा, चरस या भांग किसी विस्फोटक या ज्वलनशील वस्तु अथवा ऐरेटेड वाटर की बोतलों का उसके कब्जें में होना या उसके द्वारा उपयोग किया जाना निषेध रहेगा।

  5. किसी विशिष्ट शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, मेला, हाटबाजार, सिनेमाघर या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल जैसे– सार्वजनिक पार्क, रेस्टोरेंट, होटल अथवा किसी भी सरकारी भवन के समीप से विशिष्ट दूरी के भीतर उपस्थित नहीं हो सकेगा।

  6. थानाधिकारी उक्त गैरसायल की गतिविधियों पर नजर रखें कि वह कहा रह रहा है एवं यह भी सुनिश्चित करे कि वह निष्कासन अवधि में जिला प्रतापगढ़ की सीमा में प्रवेश नहीं करें।

अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ द्वारा पारित निर्णय 16.6.2015 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 29.06.2015 को अपील प्रस्तुत की गई। यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित जिनकी बहस दिनांक 17.12.2019 सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी को नियमानुसार छः माह की अवधि के भीतर कम से कम तीन अवसरों पर अपराध या कृत्य करता हुआ नहीं पाया गया है। पुलिस द्वारा दुसरे प्रकरण के निर्णय के तुरन्त बाद यह आरोप पत्र विरूद्ध अपीलान्ट को प्रस्तुत किया गया। जिस व्यक्ति को नोटिस जाहिर करने वजह कि उसे क्यों नहीं निष्कासित किया जाये जारी हुआ है, उसके द्वारा केवल मात्र कुछ सजायाबीयों को मंजूर कर लेने मात्र से उसके खिलाफ निष्कासन का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गैरसायल को

बचाव करने की साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर भी नहीं दिया गया, ना प्रकरण में बहस सूनी गई, यह आदेशिका से स्पष्ट जाहिर होता है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील मंजूर की जाकर निर्णय दिनांक 16.06.2015 निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस में प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गैरसायल को अपने बचाव पक्ष कर अवसर देकर निर्णय में नियमों की व्याख्या करते हुए निर्णय पारित किया जो पूर्णतया विधिसम्मत है। गैरसायल पूर्ण में दायर दो प्रकरणों में सजायाब हो चुका है, यह आदतन अपराध की श्रेणी में आता है, ऐसें में गैरसायल को 15 दिवस के लिए जिला बदर किया गया। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी निरस्त फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस एवं विधिक प्रावधानों पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अपील पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–2(ख)(v) में दिये स्पष्टीकरण अनुसार 'गुण्डा' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो राजस्थान लोक द्यूत अध्यादेश, 1949 के अधीन कम से कम दो बार दोष सिद्ध हुआ है। हस्तगत प्रकरण में गैरसायल के विरूद्ध 13 आरपीजीओं के तहत 2 प्रकरण दर्ज होकर न्यायालय द्वारा जुर्माने से दण्डित किया जाना स्पष्ट है। प्रस्तुत साक्ष्य अनुसार भी गैरसायल के अपराधीन होने की ताईद होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गैरसायल को अधिनियम की धारा–2(ख) के अनुसार 'गुण्डा' घोषित किया गया। धारा–3 की तहत कार्यवाही जारी करने उपरान्त गैरसायल को अवसर प्रदान किया गया। गैरसायल द्वारा लिखित में जवाब प्रस्तुत किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा–3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम–1975 करने से पूर्व नियमानुसार प्रक्रिया पालन करते हुए निर्णय पारित किया जिससें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ द्वारा पारित निर्णय 16.6.2015 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास सीतारामजी भाले)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर